।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

01– खुशीराम पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट उम्र करीब 50 साल निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर –वादी

बनाम

01– घीसाराम पुत्र श्री छाजिया उर्फ छाजूराम जाति जाट उम्र करीब 73 साल निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा०दी०</u>

<u>एवं सपठित धारा 151 जा०दी०</u>

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक : 18.08.2023</u>**

प्रार्थीनीगण प्रेमदेवी पुत्री घीसाराम पत्नि श्री श्रीप्रसाद, तारादेवी पुत्री घीसाराम पत्नि निहालसिंह निवासियान हाल ग्राम मूनपुर तहसील रामगढ एवं कविता पुत्री घीसाराम पत्नि श्री रोहिताश्व निवासी प्लॉट नम्बर 10, 11 रामनगर कॉलोनी, 60 फुट रोड, अलवर ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2022 को अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 160 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 312 रकब 0.53 है०, साबिक खसरा नम्बर 493 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1074 रकबा 1.90 है०, साबिक खसरा नम्बर 526 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1111 रकबा 1.18 है०, साबिक खसरा नम्बर 533 व 534 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1122 व 1123 रकबा 2.70 है०, साबिक खसरा नम्बर 546 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.93 है० वाके ग्राम केरवाजाट प्रार्थिनीगण के पिता श्री घीसाराम पुत्र श्री छाजिया उर्फ छाजूराम की कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी है। प्रार्थिनीगण प्रतिवादी घीसाराम की पुत्रियां है तथा उनकी जायज संतान है, हिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुश्तर्का खानदान की सदस्या है। प्रार्थीनीगण का वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का 1/8 – 1/8 हिस्सा निहित है। इसलिए प्रार्थीनीगण का हित वादग्रस्त आराजी में निहित है। जिस कारण प्रार्थीनीगण को उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीनीगणों को वाद में प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 8 दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्राावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीनीगण घीसाराम की जायज पुत्रियां है। जिनका उक्त वाद में हित निहित है। इस कारण इन्हें पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा०दी० स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 6 लगा० 8 वाद में दर्ज किया जावे एवं एक प्रति प्रार्थना पत्र 212 में संलग्न की जावे। सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन अधिकारी-- सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

मु०नं० 1/103/2022 तारीख रज्जू 16.08.2022 निर्णय दि० 21.03.2024

खुशीराम पुत्र श्री घीसाराम जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर राज० ....वादी

वनाम

घीसाराम पुत्र श्री छाजिया उर्फ छाजूराम जाति जाट निवासी ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर वगैरा ....असल प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट प्रा० पत्र
अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अनुवानी वाद पत्र में द्वारा विवादित आराजी के रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 02.05.2022 जो कि प्रतिवादी 02 व 03 के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र है को वादी के हक हकूकों के विरूद्ध , बेअसर व नाकाबिल पाबंदी घोषित कराये जाने की प्रार्थना की है। एवं उक्त त्र के आधार पर स्वीकृत इन्तकाल संख्या 1566 दिनांक 07.06.2022 को वादी के हक के खिलाफ बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबंदी करार दिये जाने का अनुतोष चाहा है। वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार सिविल लय को है। किन्तु वादी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए अपने वाद पत्र में सिविल से प्राप्त होने वाला अनुतोष चाहा गया हे। जिस कारण वाद पत्र वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण पोषणीय नहीं है, जो काबिल खारिज है। अतः प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested

त्र दर्ज रजि० कर वादी अप्रार्थी ने जवाब पेश कर [illegible] या कि वादी ने वाद में देत आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार [illegible] किया और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किये जाने का [illegible] है। वादी अप्रार्थी ने रिक्त कथन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से मौजूदा प्रा० पत्र गलत तथ्यों के आधार वास्तविक तथ्य छिपाते हुए पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार पोषणीय नहीं होने कारण काबिल खारिज है। वादी द्वारा मौजूदा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज० तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है और चाही गई इस्तदुआ भी इन्ही

Scanned with OKEN Scanner

किंत कथनो के अनुसार नहीं है और ना ही ऐसा अनुतोष चाहा गया है जिससे तौर पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण को केवल मात्र लम्बा करने की गरज से पेश या है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। अतः प्रा0 पत्र प्रतिवादीगण मय विशेष हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

ार्थी प्रतिवादी के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। वकील ने अपनी बहस में प्रा0 अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अनुवानी वाद पत्र में वादी द्वारा आराजी के रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 02.05.2022 जो कि प्रतिवादी संख्या 02 व क में रजिस्टर्ड दान पत्र है को वादी के हक हकूकों के विरूद्ध बातिल, बेअसर व पाबंदी घोषित कराये जाने की प्रार्थना की है। एवं उक्त दानपत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 1566 दिनांक 07.06.2022 को वादी के हक हकूकों के खिलाफ बेअसर व नाकाबिल पाबंदी करार दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा में चाहा गया अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। किन्तु रा क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए अपने वाद पत्र में सिविल वाद से प्राप्त होने वाला चाहा गया हे। जिस कारण वाद पत्र वादी न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में ना कारण पोषणीय नहीं है, जो काबिल खारिज है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें।

ादी अप्रार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन या कि वादी ने वाद में विवादित आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित ाने और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किये जाने का अनुतोष या है। वादी अप्रार्थी ने अतिरिक्त कथन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से मौजूदा गलत तथ्यों के आधार पर वास्तविक तथ्य छिपाते हुए पेश किया गया है जो ी प्रकार पोषणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिज है। वादी द्वारा मौजूदा वाद धारा 88,89,188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है और ाई इस्तदुआ भी इन्ही धाराओं में चाही गई है जिससे स्पष्ट है कि मौजूदा वाद भी प्रकार से प्रतिवादीगण द्वारा अंकित कथनो के अनुसार नहीं है और ना ही ऐसा चाहा गया है। जिससे कांनूनी तौर पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण पोषणीय नहीं होने रण काबिल खारिज है। प्रा0 पत्र प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण को केवल मात्र करने की गरज से पेश किया गया है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने के काबिल खारिज है। अतः प्रा0 पत्र प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उ... दस्तावेजी साक्ष्यों का यन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान वकील की बहस एवं ... द्वारा प्रस्तुत बों का मनन किया गया। साबिक आराजी खसरा नं0 ... रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा सका हाल खसरा नं0 312 रकबा 0.53 है0 साबिक आराजी खसरा नं0 493 रकबा 7 ा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 1014 रकबा 1.90 है0 साबिक खसरा नं0 526 बा 4 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नं0 1111 रकबा 1.18 है0 साबिक खसरा नं0 533 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 19:49:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कबा 10 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 1122 व 1123 कुल रकबा 2.70
बिक खसरा नं0 546 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 1154 रकबा
ई0 वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर का वाद वादी द्वारा पेश किया
जो रजिस्टर्ड दानपत्र 02.05.2022 को मिन वादी के हक व हकूकों के खिलाफ
व बेअसर होने के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में दानपत्र के आधार पर
इंतकाल सं0 1566 दिनांक 07.06.2022 को निरस्त किये जाने का प्रस्तुत किया
एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में किये गए इन्द्राज को कलम जन किया
मिन वादी को विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित
ाने का पेश किया गया है। परन्तु उपरोक्त आराजी का घीसा पुत्र छाजा द्वारा उक्त
आराजी रजिस्टर्ड दानपत्र प्रतिवादी सं0 2 व 3 के हक में तस्दीक किया गया है।
ल एण्ड वाइड घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर
न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसीलिए वादी का वाद पोषणीय नहीं हाने पर
खारिज योग्य है। प्रार्थी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0
कार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रा0 पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 जा0 दी0 किया जाता है। मूल वाद खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर मील दाखित दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री नवज्योति कंवरिया)
आरएएस
सहायक कलेक्टर अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:49:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner